



रजिस्ट्रार नं. २४/१३२४६/१८८५
विभाग २४/१३२४६/१८८५ सल्लेख - २
पाठ्य संख्या २४३९
सदस्य संख्या ०७/१२/९९
तारीख ०७/१२/९९
संख्या-२३२०/५७-म-९९-१०-५१५५१/९६

प्रेषक,

ललित श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
समस्त अध्यक्ष,
जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : १५ जून, १९९९

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास
अभिकरण के संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-१७७४/५७-म-९९-१०-५१५५१/९६,
कार्यालय ज्ञाप संख्या-१७७४/५७-म-९९-१०-५१५५१/९६, एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-
१७७४/५७-मत्स्य-९९-१०-५१५५१/९६, दिनांक-१५ मई, १९९९ को अवकृमि करते
हुए मुझे आयासे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिवर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यक्ष,
जिला पंचायत जिलाधिकारी के स्थान पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अध्यक्ष
होंगे तथा वे अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में शांसी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे,
और अभिकरण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सकल कार्यान्वयन हेतु पंचायत
व्यवस्था एवं अभिकरण को नेतृत्व प्रदान करेंगे। मत्स्य पालक विकास अभिकरण की
अध्यक्षता को छोड़कर समस्त प्रशासनिक/वित्तीय अधिकार अधिशासी निर्देशक में
निहित होंगे, जो अभिकरणों से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों को सम्पादित करेंगे,
जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी निर्देशक के रूप में सम्पादित किया जा रहा
था। अब मुख्य विकास अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधिशासी
निर्देशक होंगे। सम्बन्धित उप निर्देशक मत्स्य, अभिकरण के उपाध्यक्ष तकनीकी होंगे
तथा राहायक निर्देशक मत्स्य/ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक जैसी भी स्थिति हो अभिकरण
के सदस्य सचिव होंगे।

२- उपर्युक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु समस्त अभिकरण अपने
आर्थिक आफ स्तोसिपेशन और मेमोरेण्डम आर स्तोसिपेशन में यथा, आवश्यक
संशोधन करेंगे।

भवदीय,

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

क्रमशः --- १२१

उप निर्देशक
मत्स्य

जिलाधिकारी
१७/६/९९

HC

Amil
१७.७.९९
ADP/8

संख्या-232011/57-मत्स्य-99 तददिनांक।

प्रतिलिखि निम्नलिखित को सेवनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 11 सचिव, गंगावती राज, उ०प्र०शासन।
- 12 आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 13 निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 14 सम्बन्धित उ० निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
- 15 सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य गालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 16 गार्ड फाइल हेतु एक प्रति।

आज्ञा से,

राम खेलावन
संयुक्त सचिव।

प्रतिष्ठ

प्रकाशित तारीख।
। ००००